

प्ररूप - दो
(नररुत - 6 देखररुते)

छतीसगढ़ शासन



सोसायटी के रररररुतीकरण वरर प्रमाण पत्र

कररुतंक: 122201975670

संदर्भ कररुतंक: 2233488938

ररद प्रमाणरत कररुतुा जररुतुा है आरररुडररुत एररुकेशन एणुड वेतुकेररुत सोसायटी, रररुतुर सोसायटी जो श्रीरुती प्रुजरुत सिंह, के-5, शररुवजरुतुी पार्क वररुथरन सभरु रुरुड सडडू रररुतुर, तह. व जररुतुा रररुतुर (छ.ग.) तहसील Raipur जररुतुा Raipur में ररुथरत है, छतीसगढ़ सोसायटी रररररुतीकरण अधररुनररुत, 1973 (कररुतंक 44 सन् 1973) के अधीन तररुीख 25/04/2019 को रररररुतीकरण की गई है।



आर. आर. रररुतुानू
समररुतुीरुतुी के असररुतेनुत रररररुतीकरण
रररुतुर सभरुतुा

This is computer generated certificate. This certificate can be verified online at <http://rfas.cg.nic.in/> through Certificate No. and Date of Registration

नियमावली

1. संस्था का नाम-आईडियल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, रायपुर होगा.
2. संस्था का कार्यालय द्वारा- श्रीमती पूजा सिंह, के-5, शिवाजी पार्क, विधान सभा रोड सड्डू रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र- रायपुर जिला होगा ।
4. संस्था का उद्देश्य - (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)
 १. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना. छात्र-छात्राओं के मानसिक बौद्धिक विकास हेतु विज्ञान शिविरों तथा ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना.
 २. महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उत्थान हेतु कार्य करना, महिलाओं को शासन द्वारा प्रसारित योजनाओं से अवगत करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना तथा बाल श्रमिक एवम् घुमंतू बच्चों के उत्थान एवम् उनके शिक्षा के विकास हेतु बाल श्रमिक स्कूलों का संचालन करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना
 ३. सामाजिक कल्याण के कार्य जैसे सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधि, वृक्षारोपण, पर्यावरण, परिवार कल्याण, महिला एवम् बाल विकास के कार्यक्रमों को संचालित करना . समाज के निम्न वर्ग के समग्र विकास हेतु उनका आर्थिक , मानसिक और बौद्धिक विकास करना.
 ४. महिलाओं को सिलाई , बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, हस्तशिल्प , एवम् अन्य स्वरोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा स्वरोजगार स्थापना सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्य करना तथा विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे - बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या , घरेलु हिंसा के विरोध में जनभावना जागृत करना .
 ५. आदिवासी इलाकों के प्रमुख समस्याओं जैसे - स्वास्थ्य, पोषण , महामारी , भुखमरी जैसे समस्याओं को कम करने का प्रयास करना . आदिवासी इलाकों विशेषकर पिछड़ी आदि जनजातियों के इलाकों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना का प्रयास करना ताकि आदिवासी छात्र छात्राओं को बुनियादी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना . स्वरोजगार हेतु आदिवासी युवक युवतियों के पारम्परिक कौशल के अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना.
 ६. शासकीय योजनाओं से लोगों को अवगत कराते हुए उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहयोग प्रदान करना . कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से संस्था, समाज के गरीब, पिछड़े, मध्यमवर्गीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवाओं , विधवा एवम् परित्यक्ता महिलाओं विकलांग , आर्थिक रूप से कमजोर छात्र - छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा का प्रसार करना है.



वदंता सिंह

७. छात्र - छात्राओं को आधुनिक शिक्षा, उच्चा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना .
८. ग्रामीण विकास, नगरिय विकास, साहित्य, खेलकूद, युवा कल्याण, समाज कल्याण, उपभोक्ता संरक्षण, महिला एवम् बाल कल्याण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे- परिवार नियोजन, एड्स, अंधत्व निवारण, कुप्रथा उन्मूलन, पल्स पोलियो आदि का प्रचार प्रसार करना तथा नेत्र शिविरों व रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, रक्तदान हेतु लोगों को प्रेरित करना तथा सुदूर ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में निवासरत लोगों के सहायतार्थ हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करना .
९. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवम् गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना. महिलाओं एवम् बाल विकास द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व संचालन करना तथा महिलाओं को कढ़ाई बुनाई, सिलाई, व कंप्यूटरीय शिक्षा उपलब्ध कराकर उनमें स्वावलंबन की भावना जागृत करना.
१०. स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व संचालन करना. शौचालय निर्माण संधारण हेतु कार्य करना. केंद्र शासन व राज्य शासन द्वारा संचालित स्वच्छता सम्बन्धी एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना एवं कार्य करना .
११. विकलांग, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, अंध, मूक, बधिर, युवक-युवतियों के सर्वांगी विकास हेतु कार्य करना तथा उन्हें विभिन्न स्वरोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना. स्वास्थ्य सुविधा, बाल विकास, जनसंख्या नियंत्रण, महिला विकास, ग्रामीण विकास, आदिवासी विकास जैसे विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तथा सगठनों द्वारा संचालित हैं, के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना.
१२. क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच प्रदान तथा विलुप्त हो रहे ग्रामीण खेलों का संरक्षण व संवर्धन कर उनके विकास हेतु कार्य करना .
१३. प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना. एवं आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण व शोध सम्बन्धी कार्यों में सहभागिता प्रदान करना.
१४. नशामुक्ति हेतु विभिन्न कार्यशालाओं व शिविरों का आयोजन करना तथा लोगों को नशा मुक्ति हेतु जागरूक करना . पंचायती राज सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा उनके क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना . वृद्ध, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्वास हेतु कार्य करना तथा वृद्धाश्रम का संचालन करना. निशक्त जन कल्याण, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण गतिविधियों का संचालन एवम् सामाजिक कुरीति उन्मूलन, सामाजिक मूल्यबोध, नशा उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करना . समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना.




वदना सिंह

१५. कृषक भाइयों को उन्नत कृषि पद्धति एवम उन्नत पशुपालन पद्धति से अवगत कराना तथा उनका विकास एवं विस्तार, जैविक खाद के उपयोग हेतु जागरूक करना. ग्रामीण मजदुर भाइयों को स्वरोजगार सम्बन्धी शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा स्वावलंबी बनाना तथा उधमिता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करना.
१६. जल संरक्षण व संवर्द्धन हेतु कार्य करना वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्रचार प्रसार करना, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु कार्य करना तथा वृक्षारोपण हेतु लोगों को जागरूक करना. उद्यानिकी एवं बागवानी को बढ़ावा देना.
१७. बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल उन्नयन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाना.
१८. गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना तथा उर्जा के क्षेत्र में केंद्र शासन व राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करना.

5. **सदस्यता - संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-**

- (अ) **संरक्षण सदस्य** :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 10000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।
- (ब) **आजीवन सदस्य** :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 5000/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 5000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।
- (स) **साधारण सदस्य** :- जो व्यक्ति 100/- रु. माह रुपये 1200/- रु. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।
- (द) **सम्माननीय सदस्य** :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7. **सदस्यों की योग्यता :-** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-
- (1) भारतीय नागरिक हो ।
 - (2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
 - (3) समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
 - (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
8. **सदस्यता की समाप्ति :-** संस्था की सदस्यता निम्न लिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी
- (1) चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
 - (2) समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर ।
 - (3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर ।
 - (4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
 - (5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।
9. **सदस्यता पंजी :-**
- संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे -
- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.
 - (2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
 - (3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
 - (4) सदस्यों के हस्ताक्षर.
10. (अ) **साधारण सभा :-** साधारण सभा के नियम 5 (अ,ब,स)में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह अप्रैल मे अपेक्षित होगी । बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।
- (ब) **प्रबंधकारिणी सभा :-** प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।




वदना सिंह

(स) **विशेष :-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-**

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन :-** ट्रस्टीज यदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निर्मांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष (2) सचिव (3) कोषाध्यक्ष एवं सदस्य - 5

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल :-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-**

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।



वर्तमान सिंह

- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।
- (च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।
- (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. सचिव (मंत्री) के अधिकार:-

- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।
- (2) समिति की आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
- (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 5000/- रुपये व्यय करने का अधिकार होगा ।

17. कोषाध्यक्ष के अधिकार : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

18. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं भी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 5000/- रु. रहेगे ।

19. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।




वदना सिंह

20. संशोधन :-संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।
21. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.
22. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।
23. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट-ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय- समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।
24. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।
25. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।



व. द. न. सिंह

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर
(Telephone - 0771-2282549, helpline - 0771-2511594, email - rfs.cg@gov.in, website - rfas.cg.nic.in)

कमांक/रि.-122201975670/2019/712/24, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06/02/2025
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

आईडियल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी रायपुर
पता-के-5, शिवाजी पार्क विधानसभा रोड़, सड्डू रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित-1998) की धारा-27 के
अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत्।

संदर्भ :- आपकी ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 17.10.2024

—00—

संस्था आईडियल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, रायपुर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित-1998) के तहत पंजीयन कमांक-122201975670, दिनांक 25.04.2019 द्वारा पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 30.07.2024 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 17.10.2024 को फायलिंग शुल्क रुपये 20,000/- ईचालान कमांक-66111024001465, दिनांक 17.10.2024 को प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा-27 के अधीन रुपये 40/- ईचालान कमांक-66111024001466, दिनांक 17.10.2024 को जमा कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त के आधार पर संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा-27 के अधीन दिनांक 06.01.2025 को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है :-

कमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्रीमती सपना सिंह	अध्यक्ष
02	डॉ. पूजा सिंह	सचिव
03	श्रीमती वन्दना सिंह	कोषाध्यक्ष
04	श्रीमती मीना सिंह	कार्यकारिणी सदस्य
05	श्री रामनिवास सिंह	कार्यकारिणी सदस्य
06	श्री राहुल सोनी	कार्यकारिणी सदस्य
07	श्रीमती पूनम भगत	कार्यकारिणी-सदस्य
08	श्रीमती सुशीला यादव	कार्यकारिणी-सदस्य

अतः एतद् द्वारा आज दिनांक 06/01/2025 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती

है।

(आर.आर. राजभाषा)
उप रजिस्ट्रार
समितियों के निर्यात रजिस्ट्रार संभाग
रायपुर(संभाग)